



Manikant Singh

राज्यों को GST पुनः सौंपना

प्रश्न पत्र- 3 (आर्थिक संवृद्धि एवं विकास)

चर्चा में क्यों ?

- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (VFI) के कारण राज्यों को कराधान की शक्तियों को पुनः सौंपकर राजकोषीय संतुलन को बहाल करने की चर्चा की जा रही है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार, राज्यों की तुलना में अधिक कर शक्तियों से संपन्न है, जबकि राज्यों को केंद्र सरकार की तुलना में अधिक व्यय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
- यदि ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन अनुपात न हो, तो राज्यों के पास अपने स्वयं के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व है और वित्तीय हस्तांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- यदि VFI अनुपात अधिक सकारात्मक हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि राज्यों का स्वयं का व्यय उनके राजस्व से अधिक हो रहा है।
- वित्त आयोग व्यय उत्तरदायित्व और राजस्व जुटाने वाले प्राधिकरण (GST परिषद) के बीच विषमता से निपटने में सहायक होगा, परन्तु ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को सही करने का यह कार्य वित्त आयोग द्वारा पूरा नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 280 – भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के आने के दो साल बाद और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करना चाहिए।

भारत में ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन

- पिछले तीन वित्त आयोगों (2005-06 से 2020-21) की अवधि के दौरान सभी राज्यों के आंकड़ों से ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन में वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है।
- संघ के करों के विभाज्य पूल का विस्तार आयकर और निगम कर से बढ़ाकर आयकर, निगम कर, केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क तक कर दिया गया।
- राज्यों के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून का कार्यान्वयन।
- उपरोक्त परिवर्तनों ने राज्यों की राजस्व संरचना को काफी हद तक बदल दिया है, जिससे उनकी राजस्व स्वायत्तता में कमी और केंद्र सरकार पर अधिक निर्भरता बढ़ी है।

- ▶ वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2020 के बीच इसी अवधि के लिए VFI अनुपात 0.530 से बढ़कर 0.594 हो जाने के कारण राज्य के व्यय का केवल 40% उनके स्वयं के राजस्व द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

GST क्या है ?

- ▶ GST , गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है । इसकी देनदारी , खरीददारी करने वालों या सेवाओं का उपयोग करने वालों पर होती है। पहले के कई तरह के टैक्स (एक्साइज ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स आदि) को गस्टी
- ▶ भारत में GST को 3 श्रेणियों में जोड़ा गया है, जो CGST (केंद्रीय वस्तु और सेवा कर), SGST (राज्य वस्तु और सेवा कर) / UTGST (केन्द्रशासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर) और IGST (एकीकृत वस्तु और सेवा कर) हैं।
- ▶ सामान्य श्रेणी के राज्यों में, 40 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले सभी व्यवसायों को जीएसटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पहले यह छूट सिर्फ 20 लाख रुपए तक टर्नओवर वालों को ही थी। हालांकि, सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) के कारोबार के लिए यह सीमा पहले की तरह 20 लाख रुपये ही रखी गई है।
- ▶ इसे कर संग्रह के लिए पांच अलग-अलग टैक्स स्लैब में विभाजित किया गया है - 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
- ▶ देश में वस्तु एवं सेवा कर(GST) के लिए संविधान (101 वां संशोधन), 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। यह अनुच्छेद 279 (A) के तहत लागू किया गया है।
- ▶ जीएसटी परिषद, जीएसटी पर संघ और राज्यों के बीच विवाद का समाधान करने या सिफारिशें करने के लिए एक शीर्ष समिति है।

अनुच्छेद 279 A के अनुसार, जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का एक संयुक्त मंच होगा।

अनुच्छेद 279 A (4) के अनुसार, परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा।

उपाय -

- ▶ CGST और पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क राज्यों को सौंपा जा सकता है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने की विशेष शक्ति है तथा राज्यों के पास शराब पर उत्पाद शुल्क और बिक्री कर लगाने की विशेष शक्ति है।
- ▶ GST परिषद द्वारा निर्धारित, कर के रूप में GST जारी रहेगा। यह राज्यों को आपस में कर मुद्दों को निपटाने में सक्षम करेगा, केंद्र सरकार केवल राज्यों के बीच आम सहमति के आगमन की सुविधा प्रदान करेगी।
- ▶ समानता हस्तांतरण द्वारा क्षैतिज राजकोषीय असमानता को संबोधित करें: जीएसटी का कर आधार, अर्थात् उपभोग, राज्यों के बीच समान रूप से वितरित नहीं है।
- ▶ राज्यों के बीच असमान व्यय आवश्यकता के साथ असमान कर आधार राज्यों के बीच क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन पैदा करता है।
- ▶ वस्तु कराधान को संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची II में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- ▶ राज्यों को पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क सौंपने से सकारात्मक राजस्व प्रभाव के कारण VFI को शून्य पर आने में मदद मिलेगी।

- यह राज्यों के अपने कर राजस्व में वृद्धि करेगा और राजकोषीय मामलों पर अपने लोगों के प्रति राज्य की जवाबदेही में सुधार करेगा।
- यह पेट्रोलियम उत्पादों पर करों को GST में एकीकृत करने की प्रक्रिया को भी तेज करेगा और पेट्रोलियम उत्पादों पर मौजूदा उत्पाद शुल्क के व्यापक प्रभावों को दूर करेगा।
- राज्यों को सभी वस्तु कर राजस्व आवंटित करने से, केंद्र सरकार के पास गैर-विभाज्य उपकर और अधिभार संग्रह का उपयोग करने के लिए बहुत कम प्रेरणा होगी क्योंकि इसके लिए सभी राज्यों के साथ कर आय साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- उत्पाद और सेवा नेटवर्किंग (GSTN) निम्नलिखित कार्यों से संबंधित है -

- (a) पंजीकरण की सुविधा
- (b) संघीय और राज्य सरकारों को पैकेज लौटाना।
- (c) जीएसटी गणना और निपटान
- (d) उपरोक्त सभी

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न- पिछले कुछ वर्षों में GST की प्रमुख उपलब्धियां पर प्रकाश डालिए तथा GST प्रणाली से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।